न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 18/2015/अपील

1. सोहनीदेवी पुत्री स्व. छोटूराम पत्नि स्व. नाथूराम जाति बलाई निवासी पचार हाल निवासी सुन्दारिया तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—अपीलार्थिया

ब ना म

1. लालाराम
2. जगदीश — पुत्रगण स्व. नारायण
3. हरदेवा
4. महावीर
5. भगवान सहाय — पुत्रगण स्व. रामदेव
6. रूघनाथ
7. गोपाल
8. सीताराम
9. रामपाल
10. शंकर — पुत्रगण स्व. राधाकिशन

समस्त जाति बलाई निवासीगण पचार तहसील दांतारामगढ (सीकर)

11. ग्राम पंचायत पचार जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध नामांतरण संख्या 720 दिनांकित 29.12.1978 बतस्दीक ग्राम पंचायत पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

उपस्थिति—

1. श्री भवानी सिंह शेखावत वकील अपीलार्थिया की ओर से।
2. श्री योगेश शर्मा वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर सें तथा आशीष शर्मा वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 5, 7 की ओर सें।

निर्णय दिनांक— 07.02.2019

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थिया व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 10 की पैत्रिक कब्जेकाश्त व खातेदारीशुदा भूमि पुराने खसरा नम्बर 197 रकबा 69 बीघा 4 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 898 रकबा 1.41 हैक्टर, खसरा नम्बर 899 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 900 रकबा 2.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 901 रकबा 6.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 903 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 904 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 905 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 906 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 907 रकबा 2.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 908 रकबा 0.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 909 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 920 रकबा 2.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 902/2902 रकबा 0.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 1832/2839 रकबा 0.20 हैक्टर किता 14 कुल रकबा 18.55 हैक्टर तन ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में हिस्सा 1/10 अवस्थित है जिसको अपीलार्थिया के पिता छोटूराम व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 10 के पिता नारायण, रामदेव, राधाकिशन अपने पिता के जीवनकाल सें ही संयुक्त रूप सें काश्त करते रहे तथा छोटूराम, रामदेव, नारायण व राधाकिशन के जीवनकाल सें ही काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। उक्त भूमियों की 1/10 हिस्से की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में अपीलार्थिया व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 10 के दादा लिछमण पुत्र जोधा बलाई निवासी पचार के नाम सें दर्ज रही है। लिछमण पुत्र जोधा की मृत्यु के पश्चात अन्य भूमियों में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 10 के पिता नारायण, रामदेव, राधाकिशन व अपीलार्थिया के पिता छोटूराम के नाम सें राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज हुई। छोटूराम की मृत्यु होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 10 के पिता रामदेव, नारायण व राधाकिशन ने तत्कालीन पटवारी हल्का व सरपंच ग्राम पंचायत पचार सें साजिस र अपीलार्थिया व उसकी माता अणचीदेवी जो कि स्व. छोटूराम की वैध प्रथम श्रेणी की वारिस थी के नाम नामांतकरण नहीं भरवाकर नामांतकरण संख्या 720 गोपनीय तरीके सें अपीलांट व उसकी माता को बिना सूचना दिये व बिना सुनवाई का अवसर दिये नामांतकरण संख्या 720

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

दिनांक 25.10.1978 को अपने नाम पटवारी हल्का पचार सें भरवाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 11 तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत पचार सें दिनांक 29.12.1978 को तस्दीक करवा लिया। उक्त नामांतकरण के कॉलम संख्या 16 में पटवारी द्वारा स्पष्ट रूप सें अंकन किया गया कि '' श्रीमानजी निवेदन है कि खातेदार छोटूराम की मृत्यु पर उसके जायज वारिसो के नाम नामांतकरण दर्ज कर वास्ते स्वीकृति पेश है।'' उक्त नामांतकरण के कॉलम संख्या 5 में उक्त भूमियों में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 10 के पिता रामदेव, नारायण, राधाकिशन के साथ प्रार्थीया के पिता छोटूराम का नाम भी अंकित है। तथा कॉलम संख्या 11 में अपीलार्थिया के पिता का नाम हटाया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 10 के पिता रामदेव, नारायण, राधाकिशन पुत्र लिछमण का नाम अंकित किया गया। तथा छोटूराम का नाम साजिसपूर्ण तरीके सें हटा दिया गया। अपीलार्थिया की माता अणचीदेवी की मृत्यु दिनांक 15.03.1986 को हो गई जिसका मृत्यु प्रमाणपत्र पेश किया गया है। अब अपीलांट ही अपने पिता स्व. छोटूराम पुत्र लिछमण की जायन्दा संतान है तथा प्रथम श्रेणी की वैध वारिस है जो ग्राम पंचायत पचार के वारिस प्रमाण पत्र सें भी प्रमाणित है। अपीलार्थिया व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 10 आज भी संयुक्त रूप सें उक्त भूमियों पर काबिज है। उक्त अवैध साजिसपूर्ण नामांतकरण संख्या 720 दिनांकित 29.12.1978 बतस्दीक ग्राम पंचायत पचार की प्रार्थिया जो कि एक निरक्षर ग्रामीण परिवेश की अशिक्षित महिला है को जानकारी तक नहीं होने दी तथा इसकी आड़ में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 10 ने दिनांक 26.07.2015 को उक्त वर्णित अपीलार्थिया के हिस्से की भूमि के कब्जेकाश्त में हस्तक्षेप करने की कोशिश की गई और कहा कि उक्त भूमियों की खातेदारी हमारे नाम सें दर्ज है और हम अपीलार्थिया को बलपूर्वक बेदखल कर कब्जा कर अन्य लोगों को अन्तरित करेंगे जिस पर अपीलार्थिया ने पटवारी हल्का सें पूछताछ की व दिनांक 30.07.2015 को नकल नामांतकरण प्राप्त की तो उक्त अवैध नामांतकरण की जानकारी हुई। तत्पश्चात तहसील दांतारामगढ सें अपीलार्थिया ने पुराने राजस्व

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

रिकॉर्ड की नकलें प्रापत की। वैसे अवैध आज्ञा को कभी भी चुनौती दी जा सकती है तथा अपलार्थिया के हितों की रक्षा के लिए व सही निर्णय व न्याय के लिए अपीलार्थिया को जानकारी के अभाव में अपील पेश करने में हुई देरी क्षमा की जाकर अपीलार्थिया को मियाद का फायदा दिया जाना कानूनन आवश्यक है। इस हेतु दफा 5 अवधि परिसीमा अधिनियम का आवेदन मय शपथपत्र पृथक सें पेश किया जा रहा है तथा प्रार्थीया को जानकारी होते ही नकील नामांतकरण व अन्य राजस्व रिकॉर्ड की नकलें प्राप्त कर अपील यथाशीघ्र निम्न आधारों पर पेश है– 1. नामांतकरण संख्या 720 दिनांकित 29.12.1978 कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने एवं विधि के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 10 के पिता नारायण, रामदेव, राधाकिशन ने अपने नाम सें साजिस पूर्ण तरीके सें तस्दीक करवाया गया था जिससें उनकी मृत्यु के पश्चात रेसपोडेन्ट संख्या 1 ता 10 के नाम खातेदारी हुई है। 2. नामांतकरण संख्या 720 दिनांकित 29.12.1978 तस्दीक करने से पूर्व अपीलार्थिया जो कि स्व. छोटूराम की वैध वारिस है को सूचना व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया व मौके और कब्जे की जांच किये बिना ही अवैध तरीके सें नामांतकरण भरवाकर तस्दीक करवाया गया है। 3. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 10 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 11 ग्राम पंचायत पचार के तत्कालीन सरपंच व पटवारी हल्का सें साजकर बिना अधिकार व साजिस पूर्ण तरीके सें अपीलार्थिया के पिता स्व. छोटूराम की सम्पति उक्त वर्णित कृषि भूमियों को अवैध रूप सें हड़पने की नियत सें अपीलाधीन नामांतकरण तस्दीक करवाया है। अपीलार्थिया को उनके पैत्रिक हक व हिस्से सें वंचित कर दिया गया है जो विरूद्ध कानून होने की वजह सें निरस्त किये जाने योग्य है। 4. चुनौतीग्रस्त नामांतकरण तस्दीक करने सें पूर्व मौके व कब्जे की जांच नहीं की गई तथा नामांतकरण संबंधी कानून व नियमों की पालना नहीं की गई। अतः उक्त नामांतकरण खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि अपील अपीलार्थिया स्वीकार की जाकर नामांतकरण

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

संख्या 720 दिनांकित 29.12.1978 बतस्दीक ग्राम पंचायत पचार तहसील दांतारामगढ खारिज फरमाया जाकर अपीलार्थिया के नाम सें नामांतकरण भरने के आदेश प्रदान किये जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 की ओर सें वकील श्री योगेश शर्मा व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 5 व 7 की ओर सें वकील श्री आशीष शर्मा हाजिर आये तथा शेष रेस्पोडेन्ट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपील अपीलांट पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया कि अपीलाधीन नामांतकरण गलत तरीके सें बिना वारिशान की जांच किये तथा कब्जे की जांच किये तथा अपीलार्थिया को सुनवाई का अवसर दिये बगैर तस्दीक किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः ग्राम पंचायत पचार द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 720 दिनांकित 29.12.1978 को निरस्त फरमाया जावे। वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बहस के दौराने मुख्यतया मियाद के बिन्दू पर बहस करते हुए आग्रह किया कि अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब क्षमा किये योग्य नहीं है अतः मियाद के बिन्दू पर ही अपील खारिज फरमाई जावे।

3. उभयपक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन सें स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत पचार द्वारा तस्दीक किया गया अपीलाधीन नामांतकरण बिना विधिक वारिशान, कब्जे आदि की जांच किये तस्दीक किया गया है जो निरस्तनीय है।

अपीलांट की ओर सें दफा 5 मियाद परिसीमा अधिनियम का आवेदन पेश किया है तथा अपीलांट स्व0 छोटूराम की प्रथम श्रेणी की वैध वारिस है अतः अपीलांट को मियाद के बिन्दू पर न्याय सें वंचित किया जाना उचित नहीं है तथा ग्राम पंचायत पचार द्वारा तस्दीक अपीलाधीन नामांतकरण बिना विधिवत वारिशान की जांच किये ही तस्दीक किया गया है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है अपीलाधीन नामांतरण संख्या 720 दिनांक

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया/अपीलार्थीया व रेस्पोडेन्ट सख्या 1 लगायात 10 की पैत्रिक कब्जे

29.12.1978 द्वारा ग्राम पंचायत पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि पुनः विधिवत वारिशान की जांच करते हुए नामान्तरण दर्ज कर तस्दीक करने की कार्यवाही कर न्यायालय को पालना सें अवगत करावे।

पत्रावली बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 07.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ